

कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम म.प्र.

दिनांक 04-03-2021

बैठक कार्यवृत्त दिनांक 04-03-2021

दिनांक 04-03-2021 को सायं 5.00 बजे स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 बाबत आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

- 1— श्री विकास सोलंकी—उपायुक्त, नगर पालिक निगम,
- 2— श्रीमती ज्योति सुनारिया—सहायक आयुक्त,
- 3— श्री जी.के. जायसवाल—प्र०कार्यपालन यंत्री,
- 4— श्री अनवर कुरैशी—प्र०सहायक यंत्री,
- 5— श्री एम.के. जैन—प्र०सहायक यंत्री,
- 6— श्री ए.पी. सिंह—प्र०स्वच्छता अधिकारी,
- 7— श्री जसवन्त जोशी—प्र०सचिव,
- 8— श्री रामचन्द्र शर्मा—प्र०कार्यालय अधीक्षक,
- 9— श्री बी.एल. चावरे—प्र०स्थापना,
- 10— श्री सुहास पंडित—उप यंत्री—जलप्रदाय,
- 11— श्री भैयालाल चौधरी उप यंत्री,
- 12— श्री राजेश पाटीदार—उप यंत्री,
- 13— श्री ब्रजेश कुशवाह—उप यंत्री,
- 14— श्री विकास सिंह मरकाम—उप यंत्री,
- 15— श्री मनीष तिवारी—उप यंत्री.,
- 16— श्री सिद्धार्थ सोनी—उप यंत्री,
- 17— श्रीमती अनिता ठाकुर—उप यंत्री,
- 18— सुश्री दीक्षा निजामपुरकर—उप यंत्री.,
- 19— श्री पर्वत कुमार हाड़े—प्र०स्वच्छता निरीक्षक,
- 20— श्री किरण कुमार चौहान,
- 21— श्री कपिल मारोटिया, सिटी मिशन मैनेजर,
- 22— श्री नितिन तिवारी,
- 23— श्री धर्मन्द दोगाया—उद्यान पर्यवेक्षक,
- 24— श्री अनिल पारा—उद्यान पर्यवेक्षक,
- 25— श्री राजेन्द्र सिंह गेहलोत—सहायक वर्ग-3, स्वास्थ्य वि.,
- 26— श्री जितेन्द्र सिसोदिया—फिल्टर अटेंडेंट,
- 27— श्री आशीष चौहान उप स्वच्छता पर्यवेक्षक,
- 28— श्रीमती मौनिका चौहान
- 29— श्री जय उपाध्याय,
- 30— श्री तरुण राठोड़,
- 31— श्री प्रमोद तिवारी—स्टेनोग्राफर,
- 32— श्री वासुदेव बैरागी—समयपाल,
- 33— श्री बलवंतसिंह राठौर—स०रा०नि०,
- 34— श्री हेमन्त बंदोड़िया—स्थायीकर्मी,
- 35— श्री प्रतीक मिश्रा—कंसलटेंट—सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट (PIU)
- 39— श्री राहुलसिंह राठौर—आस्था—आईसीटी संस्था,
- 40— श्री नवीन बैरागी—कंप्युटर आपरेटर,
- 41— श्री सौरभ अग्रवाल—कंप्युटर आपरेटर,
- 42— वार्ड नं० 7,8,17 व 19 के वार्ड प्रभारी (दरोगा).

बैठक में सर्वप्रथम वार्ड क्रमांक 01, वार्ड क्र0 02, वार्ड क्र0 03, वार्ड क्र0 04, वार्ड क्र0 05, वार्ड क्र0 06, वार्ड क्र0 07 में मानीटरिंग हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक ने वार्ड की व्यवस्था बाबत अवगत कराया गया, जिस पर संबंधित अधिकारी को इस पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

कौनसी कचरा संग्रहण गाड़ी कहां पर चल रही है के लोकेशन बाबत सफाई व्यवस्था में लगे हुए पर्यवेक्षक व स्टाफ को एप्प डाउनलोड करवाया गया।

पश्चात् निम्नानुसार निर्देश दिये गए :-

- 1— बिट रजिस्टर (रुट चार्ट) दिया गया है अथवा नहीं, यह देखा जावे, वार्ड के पर्यवेक्षक को रुट चार्ट दिया जावे।

1 से 49 तक के वार्ड में कितनी गलियां हैं, सड़कें हैं का रजिस्टर बनेगा तथा रुट चार्ट बनेगा जिसमें लंबाई-चौड़ाई होगी। यह रुट चार्ट सबको दिया जाए। रुट चार्ट ऐसा बने कि लोगों को लगे कि यह हो ही नहीं सकता, हम इसको ऑनलाईन भी करें ताकि लोगों को इफिशियेन्सी का पता चले। कचरा क्यों नहीं उठा, गाड़ी क्यों नहीं निकली इसे देखा जाय, इस हेतु संबंधित की जिम्मेदारी तय होती है।

वार्ड में कुल कितने घर हैं इस संबंध में सम्पत्तिकर विभाग से जानकारी ले ली जाय।

- 2— वार्ड नं0 07, 08, 17 व 19 में जीरो वेस्ट वार्ड का अभियान चलने तक इन चारों वार्ड में स्पाट फाईन की कार्यवाही नहीं की जावे, इन चारों वार्ड के क्षेत्र में केवल समझाईश होगी।

3— दिनांक 04-03-2021 को वार्ड नं0 07 व 17 में सफलतापूर्वक जीरो वेस्ट वार्ड का कार्य होकर 100 प्रतिशत कचरा दोपहर 12.30 बजे तक उठने पर पूरी टीम को बधाई। आज अगर सफल हुए हैं तो कल भी सफल होंगे व परसों भी होंगे। (सभी के द्वारा ताली बजा करके इसका स्वागत किया गया)।

- 4— दिनांक 05-03-2021 को जीरो वेस्ट वार्ड अन्तर्गत होने वाले अभियान में वार्ड नं0 07 व 17 में 03-03 वाहन के स्थान पर 2-2 वाहन ही रखे जायें तथा उन पर 02-02 स्वे सहायता समुह के सदस्य रखे जाएं इनके साथ स्वास्थ्य अधिकारी, वार्ड प्रभारी, वार्ड पर्यवेक्षक, उद्यान पर्यवेक्षक, प्र०स्वच्छता निरीक्षक, सिटी मिशन मैनेजर तथा आईसीटी आस्था संस्था के 08-08 सदस्य रहेंगे।

5— इसी प्रकार दिनांक 05-03-2021 को जीरो वेस्ट वार्ड के पायलट प्रोजेक्ट में वार्ड नं० 08 व 19 में भी उक्त अभियान का शुभारंभ किया जाना है वहां डोर टू डोर कचरा संग्रहण हेतु 2-2 वाहन रखे जायें तथा उन पर 02-02 स्व सहायता समुह के सदस्य रखे जाएं इनके साथ स्वास्थ्य अधिकारी, वार्ड प्रभारी, वार्ड पर्यवेक्षक, उद्यान पर्यवेक्षक, प्र०स्वच्छता निरीक्षक, सिटी मिशन मैनेजर, संबंधित उपयंत्री तथा आईसीटी आस्था संस्था के 08-08 सदस्य रहेंगे। इसमें वार्ड क्रमांक 08 में दुर्गा स्व सहायता समुह के सदस्य तथा वार्ड क्रमांक 19 में ईश्वर स्व सहायता समुह के 02-02 सदस्य रहेंगे। इस हेतु अनाउंस किया जावे व प्रेस नोट निकाला जावे।

साथ ही कचरा संग्रहण वाहन से निकले सुखे कचरे के सेग्रीग्रेशन हेतु वार्ड नं० 08 के लिए वार्ड नं० 07 हेतु नियत स्पाट तथा वार्ड नं० 19 के लिए वार्ड नं० 17 हेतु नियत स्पाट रहेगा। इसी प्रकार वार्ड नं० 08 हेतु वार्ड नं० 07 के नियत वेंडर तथा वार्ड नं० 19 हेतु वार्ड नं० 17 हेतु नियत वेंडर द्वारा सुखे कचरे का काटे से तोल किया जाकर पूर्वानुसार स्व सहायता समुह के द्वारा सुखे कचरे के छंटनी करने के बाद खरीदने व संबंधित स्व सहायता समुह को भुगतान आदि की कार्यवाही पूर्वानुसार की जावे। इस प्रकार वार्ड नं० 08 व 19 के कचरा संग्रहण वाहन पर भी हेल्पर नहीं रहेंगे, उन्हें जेकेट पहनाकर के कचरा पॉइंन्ट पर खड़ा किया जाय जहां पर लोग खुले में कचरा डालते हैं। साथ ही स्व सहायता समुह के सदस्यों को नगर निगम द्वारा मास्क व एप्रेन उपलब्ध करवाया जावे।

उक्त वार्डों में अच्छा रिजल्ट आने पर इसकी अच्छी पब्लिसीटी करके फिर नगर के 02 अन्य वार्ड उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लिये जावेंगे व 25 दिन में हमारा शहर गारबेज फी सिटी बन जाएगा एवं हम जीरो वेस्ट वार्ड बनाते-बनाते जीरो वेस्ट सिटी बना देंगे।

प्रातः 7.00 बजे गाड़ी नगर निगम से निकल जाए व प्रातः 7.15 बजे तक संबंधित वार्ड क्षेत्र में पहुंच जाए यह सुनिश्चित किया जाय। साथ ही आस्था ICT के नए सदस्यों को वार्ड में कार्य करने का प्रशिक्षण दे दिया जाय।

6— आस्था आईसीटी संस्था की कम से कम 100 सदस्यों की टीम स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 हेतु उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाय ताकि समुचित रूप से सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जा सके व रतलाम नगर को नंबर 01 बनाया जा सके।

7— मार्केट एरिया में नीचे बैठकर सब्जी आदि बेंचने वाले के पास 50 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथिन मिलने पर जब्ती की जाए व उन पर ₹ 50/- का ही स्पाट फाईन किया जाय, क्योंकि यह छोटे रोजगार वाले लोग हैं ।

8— दुकान के सामने यदि खुला कचरा पड़ा हुआ मिले तो ₹ 500/- का स्पाट फाईन किया जावे ।

9— इसी प्रकार होटल, नर्सिंग होम, शराब दुकान, बड़े रेस्टोरेंट आदि के सामने यदि खुला कचरा पड़ा हुआ मिले तो पहली बार स्पाट फाईन ₹ 5000/- व दूसरी बार यह गंदगी मिलती है तो उसे सील किये जाने की कार्यवाही की जावे ।

10— स्पाट फाईन की टीम द्वारा वृद्धावन बैकरी से 40 किलो पॉलीथिन की थैली जब्त की गई तथा संबंधित से ₹ 5000/- की स्पाट फाईन की राशि वसूल की गई, जिस हेतु पूरी टीम को बधाई । (सभी के द्वारा ताली बजाकर इसका स्वागत किया गया),

11— आईसीटी सहयोगी संस्था के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जीरो वेस्ट वार्ड करने के अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त उल्लेखित वार्डों में घर-घर जाकर प्रचार करें कि नाला-नाली में कचरा नहीं डालें एवं सुखा व गीला कचरा पृथक-पृथक डस्ट बिन में रखा जावे ताकि सेंग्रीग्रेटेड कचरा मिले । साथ ही डस्ट बिन अपने मकान के गेट के बाहर रखा जावे ताकि स्वच्छता दीदी द्वारा डस्ट बिन उठाकर कचरा वाहन में डाला जावेगा ।

12— फील्ड में सुपरविजन करें व सुधार करें तथा फील्ड में प्राप्त होने वाले सुझाव को भी समझें व उसे शेयर करें ।

13— विगत माह में माझमुख्यमंत्रीजी के रत्नाम नगर में आगमन के समय रंगोली बनी व लोगों की मानसिकता बनी कि गंदगी नहीं करना है तो हम यह मानकर चलते हैं कि जब तक स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 की दूसरी टीम आयेगी तब तक हमारे शहर का हुलिया बदला हुआ हो ।

वार्डों के इंचार्ज अपने-अपने वार्डों में कार्य करते रहें । जितना हम हमारे शहर की गलियाँ, शहर के बारे में जानते हैं उतना दूसरा नहीं जानता । आज अगर सफल होंगे तो कल भी सफल होंगे, परसों भी सफल होंगे । अगर कोई छोटी सी पन्नी भी उड़ते हुए दिख गई तो यह भी नहीं तय करना है कि यह इनका वार्ड है या हमारा वार्ड है ।

14— रात्रीकालीन सफाई, मार्केट/कामर्शियल एरिया की सफाई पर ध्यान दिया जाए ।

15— वार्डों में जो कार्य चल रहा था वह पहले जैसा चलता रहेगा । श्री ए.पी.सिंह प्र०स्वच्छता अधिकारी, श्री पर्वत हाड़े प्र०स्वच्छता निरीक्षक व श्री किरणकुमार चौहान प्र०स्वच्छता निरीक्षक यह देखें कि उन वार्डों में भी हुलिया बदला हुआ व आमुलचूल परिवर्तन होना चाहिए इस हेतु पूरी शक्ति लगायें, गंदगी नहीं चाहिए । जब तक स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं हो जाता तब तक सभी को निरन्तर काम करना है ।

16— जब तक स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम नहीं आती तब तक सम्पूर्ण आवश्यक तैयारी की जाकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अन्तर्गत देश में रतलाम नम्बर 01 व 5 स्टार रैटिंग करने के लिए निरन्तर कार्य किया जाय ।

17— कामर्शीयल एरिया की सफाई व उसके बाद लाईट, सफाई, पानी, हेंडराईट जितनी चीजें लगाना है लगा दी जाए ।

18— जिन पर्यवेक्षक को मानीटरिंग हेतु 2-3 वार्ड दिये गए हैं वे उनका कार्य करायें व सब पर्यवेक्षक अपने—अपने एरिया में देख लो ।

उक्तानुसार तथा पूर्व बैठक में दिये गए निर्देशों बाबत एवं समेक में दिये गए अन्य निर्देशों के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

श्री वासुदेव बैरागी समयपाल द्वारा उक्त कार्यवृत्त को निगम वेबसाइट पर अपलोड किया जावे ।

(सोमनाथ झारिया)
आयुक्त
नगर पालिक निगम रतलाम

प०क्र०/३६१/५/नि.स./2021,

रतलाम, दिनांक ०६-०३-२०२१.

प्रतिलिपि,

1— कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय, नगर पालिक निगम—रतलाम की ओर अवलोकनार्थ ।

2— समस्त विभाग प्रमुख, नगर पालिक निगम—रतलाम ।

3— संबंधित सर्व श्री वासुदेव बैरागी समयपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम.रतलाम
५/३/२०२१